प्रेषक

महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर–5, पंचकूला ।

सेवा में

रजिस्ट्रार,

1. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र।
2. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
3. भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुरकलां, सोनीपत।
4. चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा।
5. चौ0 बंसी लाल विश्वविद्यालय, भिवानी।
6. चौ0 रंणबीर विश्वविद्यालय, भिवानी।
7. अराजकीय अनुदान प्राप्त, स्वपोषित डिग्री महाविद्यालयों एवं राजकीय शिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य।

यादि क्रमांक 3/18–2008 छा0(2)
दिनांक, पंचकूला 23-12-2016

विषयः अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं से दाखिले के समय **फीस/फण्डस न लेने बारे।**

****

उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय के पत्र क्रमांक 3/18–2008 छा0(2) दिनांक 03.12.2009, 10.12.2009, 04.10.2012, 08.10.2013, 09.01.2014 तथा 29.07.2015 की निरंतरता में।

जैसा कि आपको पूर्व में ही सूचित किया गया था कि भारत सरकार के निर्देशनुसार जो छात्र Post Matric Scholarship Scheme for SC Studnets के पात्र है उनसे फीस/फण्ड प्रवेश के समय नही लिये जाने है । जिसका अर्थ संस्थान अपनी अपनी सुविधानुसार निकाल रहे हैं जबकि निर्देश है कि फीस/फण्ड SC Student से किसी भी स्टेज पर नही लिये जाने हैं । जैसा की उक्त संदर्भित पत्रों में स्पष्ट किया जा चुका है कि **कोई भी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय इन SC छात्रों से फीस/फण्ड नही लेगा और इसकी प्रतिपूर्ति इस निदेशालय द्वारा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को की जायेगी,** परन्तु विभाग के नोटिस में लाया गया है कि संस्थान इन आदेशों की पालना गम्भीरता से नही कर रहे है। जिसका सरकार ने गम्भीरता से संज्ञान लिया है और पुनः निर्देश दिये जाते है कि यदि कोई महाविद्यालय/विश्वविद्यालय किसी भी स्टेज पर किसी एस0सी0 छात्र से फीस इत्यादि लेगा तो उसकी ग्रान्ट रोक दी जायेगी और कोई स्वपोषित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय दोषी पाया गया तो उसका एन0ओ0सी0 रदद कर दिया जायेगा। इस कार्यवाही के लिये संस्थान स्वयं जिम्मेवार होगें।

यदि कोई महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्वपोषित नीति के अन्तर्गत कोई विषय चला रहा है तो उस पर भी सरकार की हिदायतें लागु होगी।

21/12/16

उप निर्देशक छात्रवृति,
कृते: महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा ।